



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2020/HQ/Admin/RTI-732

New Delhi: 19.10.2020

Sh. Ashok Mishra  
UP

**Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.**

Reference: Your RTI application dated 30.09.2020 received through DOPT.

Information as obtained from the concerned record holding office is attached.

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

**Ms. R. P. Chhibber**  
**GGM/Administration DFCCIL,**  
**5th Floor, Supreme Court Metro Station Building,**  
**Pragati Maidan, New Delhi-110001.**


(S.K. Roy)

Dy. G.M/Admn.(PIO)

E-mail: skroy@dfcc.co.in

011-23454707

DA: 01 sheet



डीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

डीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड  
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)  
MEDIANATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED  
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

पत्रांक सं- CNB/EN/RTI/16(A)/Y-20/M-10/( )

Date- 15-10-2020

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,  
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,  
दुण्डला (आगरा)

विषय:- श्री अशोक <sup>मिश्रा</sup> कुमर, ग्राम-रंजीतपुर, पो0-भाउपुर, जनपद-कानपुर देहात द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- 1. No 2020/HQ/ADMIN/RTI-732 Date 30.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

RTI No -732, Date 30-9-2020 श्री अशोक <sup>मिश्रा</sup> कुमर, ग्राम-रंजीतपुर, पो0-भाउपुर, जनपद-कानपुर देहात आपके कार्यालय के माध्यम से, प्राप्त हुई है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राप्त आवेदन में प्रार्थी ने ग्राम-रंजीतपुर का उल्लेख किया है, जो कि डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 परियोजना में प्रभावित नहीं हो रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा डी0एफ0सी0सी0 में प्रभावित ग्राम का नाम व गाटा सं0 की जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त ही उत्तर दिया जाना संभव है।

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए सूचना के सम्बन्ध में अग्रतर/आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

अ.ए.सी.सी.आई.एल.  
16/10/2020

उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक  
डी.एफ.सी.सी.आई.एल / कानपुर।

प्रतिलिपि:- उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक / एच0आर0, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, दुण्डला को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।